राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या : SHSB/GA/HR/7563/2023

आदेश सं०: ....

पटना, दिनांकः ...../02/2023

—:आदेशः—

विज्ञापन संख्या 07/2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन **District Planning Coordinator** के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय रू० 20,000/— प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—6 में अंकित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) में पदस्थापित किया जाता हैः—

क्र०	आवेदन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5	6
1	DPC001032	PRADEEP KUMAR YADAV	05-07-1989	UR	MADHUBANI
2	DPC000129	SUJEET KUMAR	02-12-1988	UR	MUNGER
3	DPC000806	PIYUSH UPADHYAY	03-04-1994	UR	KAIMUR
4	DPC001019	GOVIND KUMAR	01-02-1985	UR	JAMUI
5	DPC000181	KUMAR ANAND PRAKASH	16-12-1989	UR	ARWAL
6	DPC001030	BANDNA KUMARI	20-04-1994	UR	SAHARSA
7	DPC000938	GAURI SHANKAR	20-07-1983	UR	DARBHANGA
8	DPC000967	RAKESH KUMAR	14-06-1991	UR	ARARIA
9	DPC000449	SUNNY KUMAR	04-05-1990	UR	BHAGALPUR
10	DPC000742	ANKIT KUMAR WATS	07-03-1995	UR	MUZAFFARPUR
11	DPC000892	ABHISHEK KUMAR	19-02-1992	UR	GOPALGANJ
12	DPC000409	SAJID HUSSAIN	01-03-1988	UR	SHEOHAR
13	DPC001166	VISHWJEET	21-10-1994	UR	BANKA
14	DPC000885	SUDHANSHU SHEKHAR	25-07-1986	UR	PURNIA
15	DPC000551	DINESH KUMAR	06-12-1984	UR	SITAMARHI

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :—

   i. **दिनांक 11/03/2023 तक** अपने नाम के सामने स्तंभ—6 में अंकित पदस्थापन जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

   ii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण—पत्र संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष समर्पित करेंगे, जहाँ सभी मूल प्रमाण—पत्रों की जाँच सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी। जाँचोंपरान्त कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

   iii. योगदान के पश्चात् रू० 1,000—1,000/— (एक हजार रुपये) का 2 — Non Judicial स्टाम्प के साथ स्वयं सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होंगे और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

   iv. सरकारी या अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत होने की स्थिति में उन्हें अनापत्ति प्रमाण—पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा।

   v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि

की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

viii. उक्त पदाधिकारियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. सभी नवनियोजित District Planning Coordinator को एकमुश्त मानदेय रू० 20,000/– (बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा। मानदेय/प्रतिमाह FMR Code- HSS.9 के क्रमांक 185.2 के तहत विकलनीय होगा।

3. सभी संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 02 पृष्ठ हैं एवं सभी हस्ताक्षरित हैं।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/7563/2023/6958 ***पटना, दिनांक:*** 17/02/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव–सह–प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक (वित्त)/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट http://shs.bihar.gov.in/ पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक